न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
खीमसिंह पुत्र ओमकारजी राजपुरोहित उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 1 से 3 तक रामसीन तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		जिला रसद अधिकारी जालोर

प्रकरण अपील संख्या 27/2017

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

.....

पक्षकारान :-

1-श्री खीमसिंह अपीलान्ट स्वंय ।

2- श्री पुष्पराज पालीवाल, प्रर्वतन अधिकारी।

निर्णय

दिनांक:-12.02.2018

1. अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2. अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट ने व्यक्त किया कि जिला रसद अधिकारी महोदय द्वारा मुझ अपीलार्थी के प्रकरण में सुनने का अवसर नही देकर मेरा प्राधिकार पत्र निलम्बित किया है। इस प्रकार राजनैतिक कारणो से मेरे विरोधियो के साथ मिलीभगत कर झूठी शिकायत करवाकर एक तरफा जांच करवाकर मुझ अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र गलत तरीके से निरस्त किया गया है। ऐसा किया गया आदेश मनमाना होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी द्वारा सभी यथा चीनी केरोसीन व यूनिट रजिस्टर उपलब्ध करवाये गये थे, पर खाद्य सुरक्षा गेहूँ स्टॉक रजिस्टर पुत्री द्वारा ताले में रखे होने से व उसके जयपुर परीक्षा देने जाने से 17.05.2017 को वक्त निरीक्षण पेश नही कर पाया। यह सरासर गलत तथ्य है कि दो दिन का समय देकर गेहूँ स्टॉक रजिस्टर व प्राधिकार पत्र पेश करने के लिये पाबन्द किया गया था। उक्त टिप्पणी निरीक्षण रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने के बाद जोडी गई है।जो सरासर रसद अधिकारी की मनमानी है व इस तरह निलम्बन का आधार बनाया हुआ होने से मेरा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश खारिज योग्य है। अपीलार्थी वक्त निरीक्षण मूल विक्रय स्थल पर (उचित मूल्य दुकान) यूनिट रजिस्टर प्रस्तुत किया था। अत: यूनिट रजिस्टर के संबंध में आरोप अस्वीकार्य है व उचित मूल्य दुकान पर बोर्ड मूल्य स्टॉक व किस्म प्रदर्शन का मूल उचित मूल्य दुकान पर लगा हुआ था। गोदाम से वितरण 17.05.2017 को दोपहर के बाद हुआ था। प्रदर्शन बोर्ड मूल उचित दुकान पर दिखाया भी गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त तथ्य को वक्त निरीक्षण लिखा भी नही गया था। अत: अस्वीकार्य है। यह तथ्य निलम्बन के आधार के लिये लिखा गया है जो बेबुनियाद जानबुझकर मनमाना होने से आदेश खारिज योग्य है। अपीलार्थी की दुकान घर पर ही होने से सुबह 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक खुली रहती है। मात्र 10, 13 व 15 मई 2017 को पोश मशीन में वितरण का इन्द्राज नही होने का आशय यह नहीं होता कि दुकान बन्द थी। उपभोक्ता के आने पर ही पोश मशीन से ऑनलाईन इन्द्राज व वितरण संम्भव होता है। हमारा कर्तव्य उपभोक्ताओ को वितरण की सूचना देना है, राशन प्राप्त करने आना उपभोक्ता की सुविधा पर निर्भर करता है। इस संबंध में मेरी उचित मूल्य दुकान बन्द रहने की कोई शिकायत आज तक नही हुई है। अत: उक्त तथ्य असत्य होने से उक्त आदेश प्राधिकार पत्र के निलम्बन व निरस्तीकरण का खारिज योग्य है। शिकायतकर्ता श्री खेताराम पुत्र रूपाजी निवासी रामसीन ने मेरे विरोधियो से मिलकर शिकायत की है। खेताराम द्वारा गेहूं आते है कि नहीं आते देखने के नाम पर अंगुष्ठ निशान स्वंय ने मशीन पर मौजूदगी में व गैर मौजूदगी में लगाकर चैक करता रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई खाद्य

सुरक्षा के लाभार्थियो की उपभोक्त लिस्ट से लघु काश्तकारो के नाम हटाये गये थे। खेताराम का नाम लघु काश्तकार श्रेणी मे होने से गेहूं के लिये अपात्र था। उसके नाम से उठे हुये गेहूं की मेरे द्वारा कोई हेराफेरी नही की गई थी। उक्त तथ्य को रसद अधिकारी के ध्यान में लाया गया था व मुझे उक्त गेहूं स्टांक रजिस्टर में जमा करने का कहा गया था, वैसा ही मैने किया था। खेताराम का निकला हुआ गेहूं स्टॉक में अधिकता के रूप में मौजूद है। मैने स्वयं ने अप्रैल 2017 से उसे व उसकी माताजी को गेहूं लेने आने का निर्देश पर कहा था, पर जानबूझकर खेताराम नहीं आया। उक्त तथ्य वक्त निरीक्षण रसद अधिकारी के समक्ष स्वयं खेताराम ने स्वीकार भी किया था। इस तरह की शिकायत प्रायोजित होने व स्वयं लघु सीमान्त काश्तकार की श्रेणी में पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई। लाभार्थियो की सूची में से नाम हटाने खेताराम को मना किया गया था। स्वयं रसद अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक के निर्देश थे कि पोश मशीन में किसी के नाम से भले ही कितना भी गेहूं बोल रहा हो, आपको पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार ही गेहूं का वितरण करना है। मैने उक्त निर्देशो का पालन भर किया है। शिकायत झूठी होने से व मानवीय भूल कार्य के दौरान की श्रेणी की होने से प्राधिकार पत्र का निलम्बन व निरस्तीकरण का आदेश खारिज योग्य है। अपीलकर्ता को 01.09.2016 से निलम्बन तक 945.10 क्विटल गेहूं की आपूर्ति की गई। मुझ अपीलार्थी द्वारा निलम्बन तक नेटवर्क की कमजोरी अनुपलब्धता पोश मशीन की तकनीकी खराबी के कारण वितरण रजिस्टर में उपभोक्ताओ के अगुंष्ठ निशान व हस्ताक्षर से वितरण किया गया जो कुल वितरण ऑनलाईन व ऑफलाईन मिलाकर 859.06 क्वि. होता है। मुझ अपीलार्थी को प्राप्त आपूर्ति 945.10 क्वि. 01.09.2016 के प्रारम्भिक स्टॉक को शामिल करते हुए में से स्टॉक 859.06 क्विं.को घटाने पर शेष स्टॉक 86.04 क्विं.रहता है जो पूरी तरह से सही है। यह प्रवर्तन निरीक्षक व रसद अधिकारी की मिलीभगत जानबूझकर रजिस्टर से किये वितरण आफ लाईन वितरण को शामिल नही कर मेरे साथ नाईसाफी कर रहे है, इस लिये उक्त प्राधिकार पत्र निलम्बन व निरस्तीकरण का आदेश मनमाना होने से खारिज योग्य है। अपीलकर्ता को 01.09.2016 से निलम्बन तक 31.50 क्वि.चीनी की आपूर्ति की गई। मुझ अर्पीलार्थी द्वारा 01.09.2016 से निलम्बन तक 23.89 क्विं.चीनी का ऑनलाईन व 4.14 क्वि.चीनी ऑफलाईन वितरण रजिस्टर में अगुष्ठ व हस्ताक्षर उपभोक्ताओ के करवाकर वितरण किया गया है। कुल चीनी वितरण 27.03 क्वि. किया गया है इस प्रकार मेरे द्वारा स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर के अनुसार कुल आपूर्ति 31.50 क्वि. में से कुल वितरण 27.3 क्वि. घटाने पर शेष स्टॉक चीनी 3.47 क्वि. रहती है। जो पूरी तरह से सही है। मुझे जानबुझकर प्रवर्तन अधिकारी व रसद अधिकारी फसाने व लम्बे समय तक निलम्बन जारी रखने के लिये आदेश दिया। इस तरह प्राधिकार पत्र का निलम्बन व निरस्तीकरण का आदेश खारिज योग्य है। अपीलार्थी द्वारा 01.10.2016 से निलम्बन तक केरोसीन का प्रारम्भिक स्टांक 133 लीटर इस दौरान आपूर्ति 6600 लीटर कुल 6733 लीटर में से आंनलाईन पोश मशीन से 01.10.2016 से निलम्बन तक 6539 लीटर केरोसीन वितरण किया गया। शेष 194 लीटर केरोसीन इसी तरह शेष गेहूं व चीनी की यथा 86.04 क्वि. व 3. 47 क्वि. की सुपुर्दगी वैकल्पिक डीलर सत्यनारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रबन्धक रामसीन को कर दी गई जो पूरी तरह से सही है। अत: निलम्बन व प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण का आदेश खारिज योग्य है। अपीलार्थी द्वारा हमेशा दिये हुये सभी निर्देशो व प्राधिकार पत्र की सभी शर्तो का हर हमेशा पालन किया है। रसद अधिकारी के हर दूसरे महिने निरीक्षण में भी अपीलार्थी खरा उतरा फिर भी प्राधिकार पत्र की संख्या 01, 05, 08, 11 व, 17 सी के उल्लंघन के आरोप मात्र एक बार घर में शादी व बेटी के परीक्षा देने हेतु जयपुर होने से स्टॉक खाद्य सुरक्षा रजिस्टर प्राधिकार पत्र सुरक्षा की दृष्टि से पुत्री द्वारा लॉक में रखे हुये होने से व भण्डारन अस्थायी व प्रस्तावित गोदाम के नक्शे रसद अधिकारी को उपलब्ध करवाने के बाद ही निरीक्षण के समय सभी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद केवल खाद्य सुरक्षा स्टॉक रजिस्टर ही शेष रहा था। किस्म स्टॉक का उल्लेख बोर्ड पर किया हुआ था। किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दिया गया। वितरण आंनलाईन होता है। झूठी प्रविष्ठियां संभव नहीं है। 2011 से आज तक मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई शिकायत उपभोक्ताओ की ओर से नहीं हुई है ना ही कोई अन्य विभागीय कार्यवाही हुई है। इस तरह मेरे प्राधिकार पत्र का निलम्बन व निरस्तीकरण

सरासर मनमाना होने से खारिज योग्य है। रसद अधिकारी जानबूझकर मनमाने तरीके से निलम्बन अवधि को बढाने के लिये तारीख पर तारीख देते रहे। साथ ही अपीलार्थी को लगातार उनके कार्यालय के चक्कर कटवाये खाद्य उपायुक्त महोदय खाद्य मंत्री महोदय से आदेश लाने का कहकर जयपुर भेजा स्वयं मत्री महोदय ने छोटे से कार्य के लिये जयपुर आना ठीक नहीं यह कार्य रसद अधिकारी के क्षैत्र का है, ज्यादा से ज्यादा आंफ लाईन वितरण की जांच करवाकर ऑनलाईन कर सकते है, ऐसा बताया। इस प्रकार उनका आदेश जानबुझकर किया गया, परेशान करने की कार्यवाही भर है। उक्त आदेश खारिज योग्य है। रसद अधिकारी के 2012 में प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल रहते समय विरोधियो के साथ मिलकर अपीलांट के विरूद्ध 2012 में कई कार्यवाहीयां की थी। वो राशन डीलर से निलम्बित करने पर आमादा थे। उन्होने मनमाने तरीके से मेरे विरूद्ध स्थानान्तरण से पहले वार्ड बदलने की कार्यवाही की। जिसकी जांच होकर अपीलाट के पक्ष में उपभोक्ताओ के शपथपत्र देने पर वार्डो की बहाली हुई थी। मुझ अपीलार्थी का बदले की भावना से बार बार रसद अधिकारी ने अनियमितताओ के संबंध में अन्तिम जबाब देने के लिये 17.10.2017 को उपस्थित होने के लिये नोटिस भेजा था। स्वयं दिनांक 17.10.2017 को अवकाश पर रहे। दिनांक 24.10.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक को पूछने पर 27.10.2017 को जालोर आने के लिये कहा 17.10.2017 की पेशीयां दिनांक 30.10.2017 को रखी गई है बताया स्वयं रसद अधिकारी 27.10.2017 को पुन: अवकाश पर रहे व 26.10.2017 पर परिस्थितियां बदलने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मेरे खिलाफ एफ.आई.आर रामसीन थाने में दर्ज करवाई गई जानबुझकर मनमाने तरीके से परेशान करने की कार्यवाही की गई है, जबकि 30.10.2017 को पेशी की तारीख दी गई थी। इस प्रकार सुनवाई से पहले एफ. आई.आर. दर्ज करवाई गई। दिनांक 30.10.2017 को उपस्थित रहने के बावजूद गैर हाजिर बताकर मनमाने तरीके से प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जो सरासर गलत होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी का निलम्बन 22.05.2017 को अनियमितताओ के कारण किया गया जिसकी अधिकतम अवधि 90 दिन होती है जो 22.08.2017 को पूरी हो जाती है। प्रकरण का अन्तिम निस्तारण 90 दिन की अवधि में किया जाना अनिवार्य था जो नहीं हुआ। अपीलार्थी के निलम्बन की अवधि पांच माह हो जाने के बाद भी बहाल नहीं किया व न ही ऑफ लाईन वितरण को ऑन लाईन किया गया, नोटिस पर नोटिस निकालते रहे। जांच के नाम पर जांच समय पर न कर टालते रहे। पूरे पांच माह तक नोटिस देते रहे जयपुर से आदेश लाने की बात करते रहे। दिनांक 18.10.2017 को जयपुर से आदेश क्रमांक/एफ 17(45)खा.वि./न्या/2011 जयपुर से आदेश आने पर मुझ अपीलार्थी को 27.10. 2017 को जालोर रसद अधिकारी कार्यालय बुलाया गया व 26.10.2017 को ठीक एक दिन पहले मुझ अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत परिस्थितिया बदल जाने के कारण मेरे विरूद्ध रामसीन थाने में एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई। दिनांक 18.10.2017 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश (2) के अनुसार यदि प्राधिकार पत्र धारक के प्राधिकार पर निलम्बन की अन्तिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया है तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र निलम्बन अवधि समाप्त होने से तुरन्त पश्चात बहाल माना जावेगा एवं प्राधिकार पत्र धारक कार्य कर सकेगा। इस तरह इस आदेश के अनुसार अपीलार्थी का निलम्बन 22.08.2017 के पश्चात की रद्द हो गया था। सिर्फ रसद अधिकारी की हठ धर्मिता व दूषता के रहते पुरानी अदावत के लिये अनिश्चितकाल तक निलम्बित रखा जो विधि विरूद्ध होने के साथ ही मुझ अपीलार्थी के साथ प्रताडन भरी कार्यवाही भर है। अपीलार्थी की सुनवाई की तारीख 30.10.2017 होने के बाबजूद व 18.10.2017 को राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग के आदेश होने व उनको प्राप्त होने के बाबजूद मेरे खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना जानबुझकर मनमाने तरीके से दूषतापूर्ण प्रताडित करने व सामाजिक अवमूल्यन करने की कार्यवाही होने से प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही खारिज योग्य है।

भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने 18.11.2017 शनिवार को आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) में आधार से जुडी शिकायतो को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली व झारखंड के सिमडेगा में मौत के कारण पी.डी.एस के तहत राशन पाने वालो को यदि नेटवर्क की कमजोरी जैसी तकनिकी वजह से पोश मशीन पर आधार नही लिंक हो रहा हो तो मात्र कार्ड दिखाने पर उसमें इन्द्राज कर 31.12.2017

तक ऑफ लाईन वितरण जारी रखने के स्पष्ट आदेश भारत सरकार द्वारा जारी किये है। दिनांक 30.10.2017 को रसद अधिकारी जालोर ने अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। जिसका अधिकारिक आदेश की प्रतिलिपि 24.11.2017 को जालोर से प्राप्त की गई है। अपील फाईल करने की समयावधि 30.11.2017 को पूरी होने के कारण उक्त अपील 11 दिन देरी से पेश की है।

अत: अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी जालोर का प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 30.10.2017 का निरस्त करवाने का आदेश प्रदान करावे।

4. प्रर्वतन अधिकारी ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करना, वक्त जांच यूनिट रजिस्टर एवं प्राधिकार पत्र दुकान पर नही होना, दुकान पर मूल्य स्टॉक बोर्ड नही होना, दिनांक 10.05.2017 से 13.05.2017 एवं 15.5.2017 राशन सामग्री वितरण नहीं करना, वक्त जांच राशन सामग्री का वितरण मंदिर के पास स्थित गोदाम से करना जो प्राधिकार पत्र में उक्त गोदाम दर्ज नहीं करवाया जाने व शिकायतकर्ता श्री खेताराम पुत्र रूपाजी को गेहूं वितरण किया जाना बताया गया लेकिन शिकायतकर्ता ने गेहूं प्राप्त नहीं होना बताया गया। डीलर द्वारा 122.46 क्विं. गेहूं व 4.14 क्विं. चीनी की अनियमितता जाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वस्तु का विनियमन आदेश 1976 का उल्लंघन पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। डीलर को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधीवत होने से अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील न्यायहित में अंदर मियाद शुमार की जाती है। हम प्रर्वतन अधिकारी के तर्को से सहमत है। अधीस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में डीलर द्वारा अनियमितता बरतने पर दर्ज कर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को राजस्थान खाद्यान्न एवं एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानो के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 8, 11 व 17 सी का उल्लंघन करने पर डीलर का प्राधिकार पत्र व प्रति भूति राशि जप्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधीवत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई अनियमितता होना नहीं पाए जाने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अत: उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार की जाती है तथा जिला रसद अधिकारी जालोर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 12.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर,
जालोर